

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 154 Cr.P.C.)  
(प्रथम सूचना रिपोर्ट )  
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0094 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 21/05/2024 16:36 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम)   | Sections (धाराएँ) |
|-----------------|--|-------------------|
| 1               | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7(c)              |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/01/2023 Date To (दिनांक तक): 31/01/2024  
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 21/05/2024 Time (समय): 14:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 21/05/2024 16:36:07 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 2 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): ICICI BANK WALI GALI GULAB BAG, KAROLI

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): JAGDISH BHARDWAJ

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 10/04/1969 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|-------|---------|-----------|
|       |         |           |

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता)  |
|------------------|------------------------------|--|
| 1                | वर्तमान पता                  | MADHU VAN VIHAR, BYANA BHARTPUR, BAYANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2                | स्थायी पता                   | MADHU VAN VIHAR, BYANA BHARTPUR, BAYANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9829682874

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम)            | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता)   |
|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|---|
| 1               | DR DINESH CHAND GUPTA |               | पिता:SHRWAN LAL GUPTA              | 1. ICICI BANK WALI GALI,GULAB BAG,KARAULI,RAJASTHAN,IND |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1               | सिक्के और मुद्रा                    | रुपये                              |                     | 4,48,480.00                    |



10. Total value of property stolen(In Rs/-)  
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ): 4,48,480.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | UIDB Number<br>(यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|--------------------|--------------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------|

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि विस्वस्त सूत्रों द्वारा प्राप्त सूचना पर गोपनीय रूप से संकलित की गई सूचना एवं की गई आडियों विडियों रिकॉर्डिंग से डॉ0 दिनेश चन्द गुप्ता प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी) एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय करौली द्वारा मासिक वेतन के साथ नॉन प्रैक्टिस भत्ता(एन.पी.ए.) आहरित किये जाने के बाबजूद भी गुलाब बाग करौली स्थित अपने आवासीय निवास पर राजकीय हॉस्पिटल समय के दौरान एवं हॉस्पिटल समय से पहले व बाद में नियम विरुद्ध मरीजों को ईलाज व चिकित्सा परामर्श किया जाकर परामर्श शुल्क बतौर फीस 150/-रूपये प्रति मरीज वसूल कर स्वयं को अनुचित लाभ एवं राज्य सरकार को अनुचित हानि पहुंचाई जाना पाया जाने पर ब्यूरो द्वारा डॉ0 दिनेश चन्द गुप्ता प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी) एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय करौली के विरुद्ध प्राथमिक जांच संख्या 07/2024 दिनांक 19.01.2024 दर्ज की जाकर जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी करौली के नाम संबोधित की गई। चूंकि चौकी एसीबी करौली पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त होने एवं चार्ज मन पुलिस निरीक्षक के सुपुर्द होने से प्राथमिक जांच की जांच मन पुलिस निरीक्षक द्वारा की गई। प्राथमिक जांच की जांच से पाया गया है कि-श्रीमान शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2021 जयपुर दिनांक 14.06.2021 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यालय (यथा सचिवालय स्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त अनुभाग एनएचएम, आरएमएससीएल, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, औषधी नियंत्रक संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , आरसीएचओ, एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य समस्त कार्यालय) प्रातः 09.30 से सांय 06.00 बजे तक पूर्ण क्षमता के साथ सभी कार्यदिवसों में खुले रहेंगे आदेश पारित किये गये है तथा उक्त आदेश के समर्थन में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय करौली द्वारा कार्यालय सामान्य चिकित्सालय करौली अग्रिम आदेशों तक उपर्युक्त समय में पूर्ण क्षमता के साथ सभी कार्यदिवसों में खुला रहेगा एवं कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिक उक्त समयानुसार उपस्थित रहेंगे बाबत आदेश क्रमांक सामान्य/2021/570 दिनांक 25.06.2021 जारी किया गया। इस प्रकार सामान्य चिकित्सालय करौली/कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का खुलने का समय 09.30 एएम एवं बन्द होने का समय 06.00 पीएम था। दिनांक 20.10.2023 को समय 04.50 पीएम पर डॉ. दिनेश चन्द गुप्ता प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी) एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, करौली द्वारा राज्य सरकार (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.06.2021 द्वारा निर्धारित किये गये हॉस्पिटल समय में मुताबिक उपस्थिति पंजिका कार्यालय में हाजिर/ड्यूटी पर होते हुये अपने निज आवास गुलाब बाग करौली में उपस्थित रहकर नॉन प्रैक्टिस भत्ता वेतन के साथ प्रतिमाह प्राप्त करने के बाबजूद भी निजी प्राईवेट प्रैक्टिस कर मरीजों को चिकित्सा परामर्श देकर उनसे बतौर फीस प्रति मरीज 150 रूपये प्राप्त किये गये है जो उस वक्त (दिनांक 20.10.2023 को) जरिये कानि0 उक्त डॉ. दिनेश चन्द गुप्ता की आवास पर उपस्थिति एवं मरीजों को देखने बाबत करवाई गई ऑडियों/वीडियों रिकॉर्डिंग एवं उससे तैयार की गई फर्द ट्रांसक्रिप्ट में अंकित तथ्यों से प्रमाणित है। डॉ0 दिनेश चन्द गुप्ता प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय करौली द्वारा वर्ष 2023 एवं 2024 के एन.पी.ए. की स्वीकृति जारी करने बाबत संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन भरतपुर को वित्त विभाग (नियम अनुभाग) राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक:-एफ.6(8)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 में वर्णित (निजी प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करने पर एनपीए/एनसीए प्राप्त करने हेतु विकल्प दिये जाने के संबंध में) दिये प्रावधान अनुसार एनपीए ऑप्सन फार्म भरकर दिया कि ,,,,मै डॉ. दिनेश चन्द गुप्ता एतद्वारा गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता लेने का विकल्प चुनता हूं और वर्ष के दौरान कोई निजी प्रैक्टिस नहीं करूंगा और पैशेवर शुल्क नहीं लूंगा,, और उक्त ऑप्सन फार्म अपने कार्यालय पत्र क्रमांक 132/20.12.2022, पत्रांक 95/24.01.2024 से वास्ते एन.पी.ए. स्वीकृति प्रेषित किया जाने पर संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन भरतपुर द्वारा अपने कार्यालय आदेश क्रमांक:-संस्था / सं.नि. / राजस / भरत / 23/332-30 दिनांक 11.01.2023 द्वारा वित्त विभाग के उपर्युक्त आदेश अनुसार डॉ. दिनेश चन्द गुप्ता प्रमुख चिकित्सा अधिकारी करौली को माह जनवरी 2023 में 147000 रूपये मूल वेतन पर 20 प्रतिशत रूपये 29400 रूपये मिलाकर कुल 176000 रूपये होने जो 218600 रूपये से अधिक नहीं होने से नियमानुसार माह जनवरी 2023 से एनपीए की स्वीकृति प्रदान की गई एवं आदेश क्रमांक संस्था/सं.नि./राजस/भरत/23/ 270 दिनांक



25.01.2024 द्वारा माह जनवरी 2024 में 151400 रुपये मूल वेतन पर 20 प्रतिशत रुपये 30280 रुपये मिलाकर 181680 रुपये होने जो 218600 रुपये से अधिक नहीं होने से नियमानुसार माह जनवरी 2024 से एनपीए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्पश्चात मुताबिक जीए-55 उक्त डॉ० दिनेश चन्द गुप्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनपीए राशि-73500 रुपये एवं वर्ष 2023-2024 में माह फरवरी तक एन.पी.ए. राशि-374980 रुपये. कुल 448480 रुपये राजकोष से आहरित किया जाना पाया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार आरोपी डॉ. दिनेश चन्द गुप्ता, प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी) एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, करौली द्वारा लोक सेवक होते हुये वैद्य कार्य करने में अपने पद का दुरुपयोग कर मासिक वेतन के साथ नॉन प्रैक्टिस भत्ता (एन.पी.ए.) राजकोष से आहरित किये जाने के बाबजूद भी अपने गुलाब बाग करौली स्थित आवासीय निवास पर राजकीय हॉस्पिटल समय के दौरान एवं हॉस्पिटल समय से पहले व बाद में वित्त विभाग (नियम अनुभाग) राजस्थान सरकार द्वारा जारी नौटीफिकेशन दिनांक 30 मई 2011 की अवहेलना कर निजी प्रैक्टिस कर मरीजों से परामर्श शुल्क बतौर फीस वसूल किया जाकर वित्तीय वर्ष 2022-2023, एवं वर्ष 2023-2024 में वेतन के साथ 20 प्रतिशत नॉन प्रैक्टिस भत्ता (एन.पी.ए.) राशि 448480 रुपये राजकोष से प्राप्त कर उक्त राशि का स्वयं को अनुचित लाभ एवं राजकोष को अनुचित हानि पहुंचाई गई है। अतः डॉ. दिनेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री श्रवण लाल गुप्ता उम्र करीब 62 वर्ष निवासी मुंसिफ कोर्ट के पीछे गंगापुरसिटी हाल निवास आई.सी.आई.सी.आई. बैंक वाली गली गुलाब बाग करौली तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी) एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय करौली (हाल सेवा निवृत्त) का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 (सी) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (जगदीश भारद्वाज) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ० दिनेश चन्द गुप्ता पु० श्री श्रवण लाल गुप्ता निवासी मुंसिफ कोर्ट के पीछे गंगापुर सिटी हाल निवास आईसीआईसीआई बैंक वाली गली गुलाब बाग करौली, तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी) एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय करौली (हाल सेवा निवृत्त) के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 327 पर अंकित है। (विशानाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 471-75 दिनांक 21.05.2024 प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2 शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राजस्थान जयपुर । 3 उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली । 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर पी-ई (07/2024) । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): AMIT SINGH Rank अपर पुलिस अधीक्षक  
(जाँच अधिकारी का नाम): (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth<br>( जन्म तिथि / वर्ष) | Build<br>(बनावट) | Height(cms.)<br>(कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s)<br>(पहचान चिन्ह) |
|----------------|------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1              | 2          | 3   | 4                | 5                           | 6                 | 7                                       |
| 1              | Male       | 13/02/1962                                |                  |                             |                   |   |

| Deformities/ Peculiarities<br>(विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth<br>(दाँत) | Hair<br>(बाल) | Eyes<br>(आँखें) | Habit(s)<br>(आदतें) | Dress Habit(s)<br>(पहनावा) |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| 8  | 9               | 10            | 11              | 12                  | 13                         |
|  |                 |               |                 |                     |                            |

| Language /Dialect<br>(भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान)                 |                          |                 |               |                         | Others<br>(अन्य) |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------|
|                                   | Burn Mark<br>(जले हुए का<br>निशान) | Leucoderma<br>(धवल रोग ) | Mole<br>(मस्सा) | Scar<br>(घाव) | Tattoo<br>(गूदे हुए का) |                  |
| 14                                | 15                                 | 16                       | 17              | 18            | 19                      | 20               |
|                                   |                                    |                          |                 |               |                         |                  |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)